

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये रोजगार

4701. श्री राजबन्ध औरपा :  
श्री का सुन्दर लाल :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को रोजगार देने के लिये कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकारों को निदेश दिये हैं; और

(ख) यदि हा, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). सविधान के अधीन 'राज्य जन सेवाओं' का राज्य सरकारों पर सीधा उत्तरदायित्व है। इसलिये, सरकार ने राज्य सरकारों को इस बारे में ऐसे कोई निदेश नहीं दिये हैं। नो भी, अनुसूचित आदिम जातियों के केन्द्रीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व के बारे में राज्य सरकारों को सूचित रखा जाना है। उसके अतिरिक्त कल्याण कार्यक्रमों के अधीन राज्य सरकारों को शिक्षा तथा रोजगार परामर्श के लिये प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की मनाह दी गई है। कई राज्य सरकारों ने इस मनाह को मान लिया है और इस प्रयोजन के लिये योजना चला रही हैं।

मध्य प्रदेश में समाज कल्याण योजनायें

4702. श्री ए० ए० शीतल : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को राज्य द्वारा चलाई जा रही समाज कल्याण योजनाओं के लिये कितनी रकम मंजूर की थी

और इस कार्य के लिये राज्य सरकार को वस्तुतः कितनी रकम दी गई थी; और

(ख) 1965-66 और 1966-67 में मध्य प्रदेश की प्रत्येक समाज कल्याण संस्था को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान समाज कल्याण योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को 17.95 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई थी। वास्तविक खर्च के आधार पर राज्य सरकार को 13.67 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की गई थी।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक समाज कल्याण संस्था को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में अलग अलग आकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तो भी, एक समाज-कल्याण संस्था को इस प्रकार सीधे अनुदान मंजूर किया गया।

संस्था का नाम राजश (रुपये)  
1965-66 1966-67  
ग्रामों के लिये मध्य प्रदेश  
कल्याण संस्था, इन्दौर 3,000 4,125

दिल्ली में वेश्यावृत्ति

4703. श्री जगन्नाथ राव बोस्ली :  
श्री हुकम चन्द कछवाय :  
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या 1965-66 से दिल्ली में वेश्याओं की संख्या बढ़ गई है और यदि हा, तो उनकी कुल संख्या कितनी है;

(ख) दिल्ली में वेश्यावृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और